

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/2018/01179/CR-1

दिनांक : 24.12.2018

सेवा में,

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (4)5 के तहत सहायता लेने बाबत ।

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री Farhan Haider जी का आवेदन दिनांक शून्य, इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 14.12.2018 को संख्या CICOM/R/2018/01179 के तहत बिंदु संख्या 7 पर अपीलार्थी को सूचना प्रदान करने हेतु CPIO RTI (Cell) द्वारा अधोहस्ताक्षरी को transfer करने पर प्राप्त हुआ ।

आपको सूचना प्रदान कराने हेतु I/C (डाक अनुभाग) से RTI Act की धारा 5(4) के तहत सहायता मांगी गई । उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी पत्र दिनांक 20.12.2018 (in original) संलग्न है ।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं । प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- श्री राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस, नई दिल्ली 110067।

१५

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप-सचिवप- /सी पी आई ओ

केन्द्रीय रजिस्ट्री -1

संलग्न: उपरोक्त

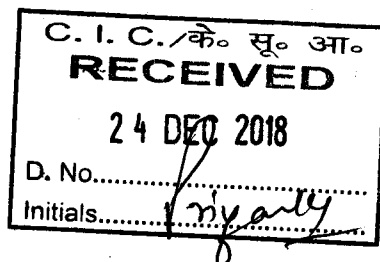
प्रतिलिपि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

१२

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप-सचिवप- /सी पी आई ओ

केन्द्रीय रजिस्ट्री -1



Central Information Commission
(Dak Section)

File No.3/1/2018/डाक अनुभाग
CICOM/R/2018/01179/CR-1

20
Date 20-12-2018

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ५(४) के अंतर्गत सहायता ।

महोदय ,

आपके पत्र संख्या CICOM/R/2018/01179/सी.आर.-१ के सम्बन्ध में यह सूचित किया जाता है श्री फरहान हैदर का पत्र दिनांक 14-12-2018 प्राप्त हुआ है.

बिंदु संख्या 7 में आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है ऐसा प्रतीक होता है कि आवेदक जो जानकारी चाहता है वह है " केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा अपने स्थापना से लेकर आज तक कुल कितने पत्र वादी और अपीलकर्ता को भारतीय डाक सेवा द्वारा भेजे गये हैं, और इसमें कुल कितना खर्च आया है"

कमीशन कई तरह के पत्राचार जिन में शामिल है. सम्बंधित सभी पक्षों से पत्राचार (चाहे वह आर.टी.आई. एक्ट के दायरे में किया गया हो या otherwise), नोटिस ऑफ हियरिंग, कमीशन के निर्णयों की प्रति आदि. स्पीड पोस्ट से भेजता है चूँकि अलग से वादी/अपीलकर्ता को भेजे गए पत्रों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता और न ही इस तरह का रिकॉर्ड अलग से चिन्हित कर पाना in terms of section 7(9) RTI Act 2005 की तहत संभव प्रतीत होता है अतः वांछित सूचना डाक/डिस्पैच अनुभाग के न तो possession में है और न ही वह रिकॉर्ड में है अतः उसे उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता।

समप्रसादी

डाक अनुभाग अधिकारी

उप सचिव एव सी.पी.आई.ओ.(सी.आर.-१)

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/2018/01179/CR-1

दिनांक : 10.12.2018

17

सेवा में,

The I/C (Dak Section)

केन्द्रीय सूचना आयोग,

नई दिल्ली

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(4) के तहत सहायता लेने बाबत ।

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री Farhan Haider जी का आवेदन दिनांक शून्य, इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 14.12.2018 को संख्या CICOM/R/2018/01179 के तहत बिंदु संख्या 7 पर अपीलार्थी को सूचना प्रदान करने हेतु CPIO RTI (Cell) द्वारा अधोहस्ताक्षरी को transfer करने पर प्राप्त हुआ ।

अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी "केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अपने स्थापना से लेकर आजतक कुल कितने, पत्र वादी और अपीलकर्ता को भारतीय डाक सेवा द्वारा भेजे गये हैं, और इसमें कुल कितना खर्च आया है" Incharge (डाक अनुभाग) की कार्य प्रणाली से अधिक निकटता से सम्बंधित प्रतीक होता है । अतः Incharge (डाक अनुभाग) से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(4) के तहत सहायता मांगी जाती है ताकि अपीलार्थी को सही समय में सम्पूर्ण सूचना प्रदान की जा सके ।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं । प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- श्री राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैपस, नई दिल्ली 110067।

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप-सचिव- /सी पी आई ओ

केन्द्रीय रजिस्ट्री -1